सन्मार्ग

Live News & Epaper
http://www.live7tv.com

ऑपरेशन मुस्कान का तीन साल पूरा, 1965 फोन किये गये बरामद

मोतिहारी/सं। आपरेशन मुश्कान के तहत शुक्रवार को जिले के 108 लोगो को उनका खोया या चोरी हुआ मोबाइल फोन खोज कर उन्हें सौंप दिया गया है। बताते है कि तीन वर्ष पहले 12 जून को ' ऑपरेशन मुस्कान ' की शुरूआत हुई थी जिसका यह 20 वा चरण था। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि आज तक कुल 1965 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सौंपा गया है। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत 3 . 85 करोड़ बताया गया है। ऐसे में पुलिस की यह योजना जिले ने काफी सराहा जा रहा है। बकलोल एसपी स्वर्ण प्रभात कुल 3.85 करोड़ रुपये कीमत के 1965 मोबाइल अब तक लौटाए गए है।

17 किलो गांजा बरामद

बनकटवा/सन्मार्ग संवाददाता। 71 वीं वाहिनी अठमोहान एसएसबी के जवानों ने मंगलवार की अहले सुबह पीलर संख्या 358/5 से लगभग सात सौ मीटर के दुरी पर करीब 17 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। गांजा तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर नेपाल के रास्ते भागने मे सफल रहा। बिल में जप्त की गई समाग्री को झरौखर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी एसएसबी के अधिकारियो ने दी है।

करंट से 11 वर्षीय बच्ची की मौत, गांव में पसरा मातम

हरसिद्धि/सन्मार्ग स/सं। पकड़िया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-17 स्थित कुबरा टोला में शनिवार सुबह एक 11 वर्षीय बच्ची की करंट से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृत बच्ची की पहचान मुस्तकीम मियां की 11 वर्षीय पुत्री सलोनी खातून के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार सुबह सलोनी अपने घर के आसपास साफ-सफाई कर रही थी। इसी दौरान बिजली का एक टूटा तार जमीन पर गिरा हुआ था। बच्ची की नजर तार पर नहीं पड़ी और वह अनजाने में उसकी चपेट में आ गई। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली के तार जर्जर स्थिति में हैं। उनका आरोप है कि टूटे तार की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। इधर सूचना मिलने पर हरसिद्धि थाना पुलिस मौके पर पहुंची।थानाध्यक्ष सुनील कुमार के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दुकान का ताला तोड़कर चोरी

कोटवा/सन्मार्ग सं। थाना क्षेत्र के दीपऊ मोड़ के बगल में स्थित कर्मयोगी बिंदेश्वरी राम के पान और जेनरल स्टोर की गुमटी दुकान का ताला तोड़ अज्ञात चोरों ने हजारों का सामान सहित नगदी की चोरी कर ली। पीड़ित कर्मयोगी बिंदेश्वरी राम ने बताया कि वह प्रतिदिन अखबार बेचते है।प्रतिदिन की भांति वह दुकान के नजदीक ही घर में सोए थे , अखबार आने से पहले नींद से जगे तो देखे कि उनकी गुमटी का ताला टूटा हुआ है। अंदर देखा तो पान मसाला,बैटरी,साबुन,सर्फ, चायपत्ती, टॉफी का जार समेत 13 सौ नकद रुपया की चोरी कर ली गई है। इसके बाद उनके परिवार के अन्य लोग जगे और घटना की जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची। मामले में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि पुलिस को इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है। स्थानीय मुखिया मुखलाल राम ने चोरी की घटना होने की बात कही है।

अरेराज में व्यवहार न्यायालय के लिए प्रस्तावित स्थल का जिला जज ने किया निरीक्षण

मोतिहारी/सं। व्यवहार न्यायालय, अरेराज के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। मौके पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मौजूद थे। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज एवं अंचल अधिकारी, ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कराया। व्यवहार न्यायालय, के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, पहुंच पथ, वर्तमान उपयोगिता, सीमांकन की स्थिति तथा भूमि अर्जन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का स्थल का जिला जज ने अवलोकन किया। उल्लेखनीय ज है कि मोतिहारी अनुमंडल को छोड़कर जिला के सभी पांच अनुमंडल - रक्सौल, ढाका, चकिया, अरेराज एवं पकड़ीदयाल में अनुमंडल कोर्ट का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 06 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज अरेराज अनुमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमिका निरीक्षण किया गया।

थाना परिसर में सार्वजनिक किचन का शुभारंभ, अब एक साथ भोजन करेंगे सभी पुलिसकर्मी

हरसिद्धि/सन्मार्ग संवाददाता। थाना परिसर में शुक्रवार को सार्वजनिक किचन (कॉमन मेस) का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन अरेराज के डीएसपी रवि कुमार ने किया। इस अवसर पर थाना के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने नई व्यवस्था का स्वागत किया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर थाने में सार्वजनिक किचेन की शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को समय पर स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक किचेन के संचालन से थाना में कार्यरत महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ-साथ सभी अधिकारी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। इससे आपसी समन्वय, अनुशासन और पारिवारिक माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा।

चोरी की बाइक के साथ 14 वर्षीय बालक निरुद्ध

बनकटवा/सन्मार्ग संवाददाता। जितना थाना क्षेत्र अंतर्गत सैनिक रोड तियर पुल के समीप से पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर जांच की। जांचोपरांत बाइक चोरी की निकली। जांच में हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक का चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में मेल नहीं था। नतीजतन वाहन के दस्तावेजों और नंबरों की गहन जांच की गई। जिससे असली मालिक का खलासा हुआ, लेकिन जब उससे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी बाइक घर पर मौजूद है। लेकिन पुलिस इतना पर नहीं रुकी। लिहाजा चेसिस नंबर के आधार पर वास्तविक वाहन मालिक की पहचान की गई। मालिक ने पुलिस को बताया कि उनकी मोटरसाइकिल पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र, बेतिया से चोरी हो गई थी। फलस्वरूप पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। वहीं धपहर गांव निवासी स्व. रंजीत प्रसाद यादव के 14 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार को अनिरुद्ध कर लिया गया गया।

रेलवे की भूमि कराया गया अतिक्रमण मुक्त

आदापुर/सन्मार्ग सं.। आदापुर रेलवे स्टेशन के रेलवे परिक्षेत्र को वर्षो से अतिक्रमित भूमि को रेल प्रशासन ने शुक्रवार को मुक्त कराया। अहले सुबह आरपीएफ व जीआरपी के संयुक्त कार्रवाई में मांस की दुकानें को उखाड़ कर फेंक दिया गया जबकि ईट पक्के चबूतरे को तहस नहस कर दिया गया। इस भूमि पर सैकड़ों मीट, मछली, मुर्गा की दुकानें सजी रहती थी।?जानकारी आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार चौधरी ने दी।

घर में सोयी बुजुर्ग महिला की गला दबा कर हत्या

मांझी/सन्मार्ग/सं। दाउदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में गुरुवार की रात एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला रुक्मिणा देवी, पति राम जन्म पंडित, की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने चोरी के दौरान वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। घटनास्थल से महिला के शरीर पर मौजूद सभी आभूषण गायब मिले हैं। पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति का मोबाइल फोन और चप्पल बरामद किया है। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के बेटे ने बताया कि गुरुवार रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। उनकी मां पुराने घर में अकेली सोई हुई थीं। देर रात घर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। परिवार के सदस्य जब पुराने घर की ओर गए, तो एक युवक वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। परिजनों के अनुसार, भागने के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन और चप्पल घटनास्थल पर ही छूट गया। उन्हें संदेह है कि युवक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और महिला के विरोध करने पर उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।

खेत बचाओ अभियान से किसानों की बढ़ेगी आय : राधामोहन सिंह

पीपराकोठी/सन्मार्ग संवाददाता। प्राकृतिक खेती ही कृषि और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनकर उभरी है। उक्त बाते कृषि विज्ञान केंद्र के अटल सभागार में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन सह शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के दौरान पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह मोतिहारी सांसद राधामोहन सिंह ने कही। सम्मेलन का उद्घाटन श्री सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद, विधायक प्रमोद कुमार, कृष्णनंदन पासवान, शालिनी मिश्रा, ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्कजवलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत मोमेंटो एवं अंगवस्त्र भेंट कर किया गया। श्री सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 1 से 30 जून तक राष्ट्रीय स्तर पर खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना है। प्राकृतिक खेती हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रही है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित प्राकृतिक खेती मॉडल में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक आदानों का उपयोग किया जाता है, जिससे खेती की लागत घटती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राकृतिक एवं शून्य लागत खेती को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल खेती की लागत कम करना नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत को पुनर्जीवित करना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, पीपराकोठी की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2022 से यहां प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत हजारों किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2025-26 में 1,116 किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

फार्मर आईडी बनाने में बेहतर कार्य करने वाले तीन कृषि कर्मी मंत्री के हाथों सम्मानित

हरसिद्धि/सन्मार्ग संवाददाता। फार्मर रजिस्ट्री में बेहतर कार्य करने वाले हरसिद्धि प्रखंड के तीन कृषि कर्मियों को सम्मानित किया गया। पीपराकोठी मे आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया।सम्मानित होने वालों में एटीएम प्रिंस राज, ओलाहा मेहता टोला के किसान सलाहकार ठाकुर जय राम सिंह तथा मठलोहियार के किसान सलाहकार रंजन कुमार सिंह शामिल हैं। मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसे कर्मियों की मेहनत और लगन के कारण ही कृषि विभाग अपने कार्यो में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सक्रिय कृषि कर्मी ही किसानों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने तीनों सम्मानित कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ये कृषि कर्मी किसानों के खेत से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सहयोग करते हैं, जो बेहद प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधामोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार, विधायक सचिंद्र सिंह, डीएओ मनीष कुमार सिंह सहित अन्य थे। हरसिद्धि बीएओ राघव प्रसाद ने कहा कि तीनो कृषि कर्मी के कार्य अन्य क्षेत्र में भी बेहतर है।

तीसरे चरण के सहयोग शिविर की सफलता को ले डीएम ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा

16 जून को जिले के 71 पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन

मोतिहारी/सं। जिलाधिकार सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तीसरे चरण अंतर्गत आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। तीसरे चरण का सहयोग शिविर पूर्वी चंपारण जिला में आगामी 16 जून 2026 को जिला के सभी 27 प्रखंडों के 71 पंचायत में आयोजित किया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा, उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार, एडीएम (लोक शिकायत) शैलेंद्र कुमार भारती, एडीएम (विभागीय जांच) मो. सिबगतुल्लाह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सिहारा सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आम नागरिकों को उनकी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करने तथा उनके त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन रोस्टर के अनुसार किया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उनको जो प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किया गया है, वहां सहयोग शिविर को सफल बनाने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय बनाकर कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित कराएं।

सार्वजनिक सूचना

"सहयोग रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड वेलफेयर सोसाईटी (नि0सं0-218/ 1982-83) जिला-पटना नामक संस्था का निबंधित कार्यालय पता-रोड नं0-6, राजीव नगर, पो०-केशरीनगर, जिला-पटना-24 (बिहार) एवं प्रस्तावित कार्यालय पता फ्लैट नं0-303, कौशल्या अपार्टमेन्ट, शरण लेन, तारकेश्वर पथ, बिसाईड विन्ध्याचल अपार्टमेन्ट, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पो०-जी०पी०ओ०, जिला-पटना, पिन-800001 (बिहार) द्वारा संस्था के कार्यालय पता / उद्देश्य / कार्यकारिणी/ उप नियमावली में किये जा रहे परिवर्तन को अभिलिखित करने हेतु मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को नियमानुसार सभी कागजातों के साथ अनुरोध किया गया है।

बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 20 (ii) के आलोक "सहयोग रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड वेलफेयर सोसाईटी (नि०सं०.218 / 1982-83) जिला-पटना नामक संस्था के कार्यालय पता/ उद्देश्य / कार्यकारिणी / उप नियमावली में किये जा रहे परिवर्तन को अभिलिखित किये जाने संबंधित प्रस्ताव पर यदि किसी व्यक्ति / समूह को आपत्ति हो तो संबंधित व्यक्ति / समूह लिखित रूप में अपनी आपत्ति निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विकास भवन, बेलीरोड, पटना-800015 के कार्यालय में 01 माह के अंदर दर्ज करा सकता है।

तुरकौलिया की दो दुकानों में छापेमारी भारी मात्रा में नकली ट्यूब बरामद

मोतिहारी/सन्मार्ग सं.। तुरकौलिया बाजार में नकली टायर-ट्यूब के कारोबार का खुलासा हुआ है। सीईएट कम्पनी के अधिकृत अधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बाइक के नकली ट्यूब बरामद किए गए हैं। इस मामले में कम्पनी के अधिकारी के आवेदन पर तुरकौलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कम्पनी के अधिकृत अधिकारी धीरज शुक्ला, जो मुजफ्फरपुर जिले के पारु के निवासी हैं, को गुप्त सूचना मिली थी कि तुरकौलिया बाजार में कम्पनी के नाम पर नकली टायर और ट्यूब बेचें जा रहे हैं। उन्होंने तुरकौलिया पुलिस के साथ संयुक्त रूप से बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के समीप दो दुकानों—सत्यम मोटर्स और शर्मा मोटर सायकल नामक दुकान में छापेमारी कराई। नतीजतन बड़ी संख्या में सीईएट कम्पनी के नाम पर बेचें जा रहे नकली ट्यूब बरामद किए गए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सत्यम मोटर्स के संचालक बच्चा सिंह और शर्मा मोटर सायकल के संचालक मोहदी शर्मा को मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कम्पनी के अधिकारी धीरज शुक्ला ने बताया कि नकली उत्पाद बेचकर कम्पनी की साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ कम्पनी लगातार सख्त कदम उठा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

साइबर ठगी के मामले में रक्सौल से दो गिरफ्तार

मोतिहारी/सन्मार्ग कार्यालय। साइबर ठगी के जरिए बैंक खाते में पैसा मांगने के मामले में रक्सौल से दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा यह बताया गया था कि म्यूल बैंक खाता के जरिए बिहार सहित दूसरे प्रदेशों से लोगों का साइबर ठगी का पैसा मंगाकर , उसे कैश कर लिया जाता है। मामले में साइबर थाना की पुलिस टीम ने कारवाई करते हुए भारत नेपाल के बार्डर रक्सौल से दो लोगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर फ्राऊड में राहुल कुमार रक्सौल वार्ड न0 13 और रत्नपुर हरदिया रक्सौल शामिल है। जिनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बीपी-4, टेक्नोपोलिस बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सेक्टर V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता पश्चिम बंगाल- 700091
CIN No: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	प्रकाश मिश्रा/रेखा देवी/राज किशोर मिश्रा/एन एच 104, दुर्गा मंदिर के पास, भेलवा, जोगौला टोला भेलवा, बहुअरा भान जोगौलिया टोला कसबा बिहार पूर्वी चंपारण- 845420/ TBPTN00006900745/ TBPTN00006900744/ LBPTN00006909042	विक्रय पत्र संख्या 4565 दिनांक 24.07.2001, मौजा- भेलवा, थाना एवं अंचल- मधुबन, उप रजिस्ट्री- चकिया, जिला- पूर्वी चंपारण, थाना संख्या 04. तौजी नंबर 1561, खाता-113, खेसरा-1313, क्षेत्रफल 1 कट्ठा 3.5 धुर संपत्ति मालिक का नाम रेखा देवी, बिक्री विलेख संख्या 4564 दिनांक 24.07.2021 संपत्ति का विवरण: भेलवा, थाना और अंचल-मधुबन, उप रजिस्ट्री- चकिया, जिला- पूर्वी चंपारण, थाना नंबर 04. तौजी नंबर 1561, खाता संख्या 52, खेसरा-1312 और खाता संख्या 113 खेसरा-1311, क्षेत्रफल 1 कट्ठा 3.5 धुर संपत्ति मालिक का नाम रेखा देवी, चतुर्सीमा- उत्तर: हरिनंदन प्रसाद/हरिनंदन प्रसाद दक्षिण: रघुनाथ प्रसाद/ रघुनाथ प्रसाद पूर्व: सड़क/सड़क पश्चिम: ब्रज किशोर प्रसाद/ब्रज किशोर प्रसाद/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि- 09/06/2026	फरवरी 19, 2026 रु. 1,09,58,273.00/-	पूर्वी चंपारण

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यॉं) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी ।

दिनांक : जून 13, 2026
स्थान : पूर्वी चंपारण

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

पंजाब से लौट रहा युवक ट्रेन से रहस्यमय ढंग से लापता, परिजन बेचैन

सिकरहना/सन्मार्ग सं.। चिरैया प्रखंड क्षेत्र के खोढ़ा पंचायत अंतर्गत बैद्यनाथ पुर गांव निवासी 19 वर्षीय युवक भभीखन राम के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने से परिवार में चिंता और बेचैनी का माहौल है। युवक पिछले दो दिनों से लापता है। युवक के चाचा विरोधन राम ने बताया कि भभीखन अपने पिता नारायण राम के साथ मजदूरी करने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलोह थाना क्षेत्र स्थित रायपुर रायां गांव गया था। इसी दौरान उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। स्वास्थ्य को देखते हुए उसके पिता उसे घर वापस लेकर आ रहे थे। दोनों मंगलवार की देर रात पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन से जननायक एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होकर चिरैया के लिए रवाना हुए। गुरुवार की सुबह ट्रेन पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंची थी।

एसएसपी सारण ने सोनपुर थाने का किया निरीक्षण, 50 से अधिक कांडों की समीक्षा

सोनपुर/सं। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विनीत कुमार ने सोनपुर थाना का निरीक्षण कर विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं चौकीदार उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी विनीत कुमार ने थाना के अभिलेखों एवं विभिन्न पंजीयों की जांच की तथा उनके बेहतर संधारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। करीब 50 से अधिक कांडों की विस्तृत समीक्षा कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट एवं कुर्की के निष्पादन सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग अपनाने तथा आम लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि थाना आने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान जिला पुलिस की प्राथमिकता है। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने प्रतिनियुक्त महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को महिला फरियादियों के साथ शालीन व्यवहार करने तथा उनकी शिकायतों पर विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, सं. 27, थर्ड "ए" क्रॉस, 18थ मेन, 6थ ब्लॉक, कोरामंगलम, बेंगलुरू-560095
क्षेत्रीय कार्यालयः उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक, ऋषि टेक पार्क, चौथी मंजिल, परिसर सं. 02-0360, प्लॉट नं. डीएच 6/2, एक्शन एरिया 1डी, न्यू टाउन, डाकघर राजरहाट, थाना-न्यू टाउन (पुराना राजरहाट), कोलकाता-700160

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के प्रावधानों के अधीन बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्राप्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक की बकाया रकम की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति की यहां नीचे निर्धारित तारीख को **"जैसे है जहां है के आधार पर" तथा "जैसे है जो कुछ है के आधार पर"** सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि एवं निम्नलिखित तिथि को मांग रकम	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया रकम दिनांक 10-06-2026 की स्थिति के अनुसार	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा की अंतिम तिथि	ईएमडी के भुगतान के लिए खाते का विवरण (ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा की जानी चाहिए)
1.	33582100 40000026	1. श्री चंद्रमोहन कुमार पुत्र नवल किशोर कुँवर 2. सुमन देवी पत्नी चंद्रमोहन कुमार	03-02-2025 रु. 10,99,241.22 दिनांक 03-02-2025 को	06-06-2025	रु. 13,35,948.24	03-07-2026 को सुबह 10.00 बजे	रु. 20,52,000/-	रु. 2,05,200/-	21-07-2026 को सुबह 10.00 बजे	20-07-2026	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा की जानी चाहिए
	सम्पत्ति का विवरण/अनुसूचीः- 2.42 डिसमिल रिहायशी ज़मीन का वह पूरा टुकड़ा, जो थाना नंबर 300, खाता नंबर 1861, खेसरा नंबर 8492, भाग वर्तमान-59, पेज नंबर 63, हल्का - घटारो मध्य और घटारो दक्षिणी (मौज़ा - घटारो, अंचल - लालगंज, थाना-करताहा, सब-रजिस्ट्री ऑफिस हाजीपुर, ज़िला - वैशाली) में स्थित है और उस पर बने सभी निर्माण/सुधार। **विलेख के अनुसार सीमाएँः उत्तर मेंः** चंद्र विजय कुमार; **दक्षिण मेंः** खुद विक्रेता; **पूर्व मेंः** मालती देवी; **पश्चिम मेंः** बच्चा कुंवर और शमशेर कुंवर। परिपूर्ण बिक्री विलेख सं. 9890, दिनांक 25.11.2022 के मार्फत चंद्रमोहन कुमार इसके मालिक हैं (आप में से नं. 1)।										
2.	35242101 80000003	1. श्रीमती शर्मिला झा पत्नी रवीन्द्र कुमार झा 2. श्री निर्मल कुमार झा पुत्र रवीन्द्र कुमार झा 3. उज्ज्वल कृषि केंद्र द्वारा स्वत्वाधिकारी शर्मिला झा	04-10-2021 रु. 16,34,947.55 दिनांक 15.09.2021 को	10-05-2022	रु. 26,37,502.57	03-07-2026 को सुबह 10.00 बजे	रु. 7,53,000/-	रु. 75,300/-	21-07-2026 को सुबह 10.00 बजे	20-07-2026	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा की जानी चाहिए
	सम्पत्ति का विवरण/अनुसूचीः- मौज़ा-मोहनपुर, थाना-शम्भूगंज, थाना नं.-196, सर्कल नं.-6, खाता नं.-334/83, खेसरा नं.-1053/621, 1126/621, रजिस्ट्री-बांका, ज़िला-बांका में स्थित वह पूरी ज़मीन (01 एकड़ 07 डेसिमल), जो श्रीमती शर्मिला झा (पत्नी श्री रवींद्र कुमार झा) के नाम पर है। **सीमाएँः उत्तर मेंः** सुरेश चंद्र झा; **दक्षिण मेंः** नेखालाल झा; **पूर्व मेंः** नेखालाल झा; **पश्चिम मेंः** कमल कांत झा। बिक्री विलेख दिनांक 30.01.1996 के मार्फत यह संपत्ति श्रीमती शर्मिला झा (आपमें से नंबर 1) के नाम दर्ज है एवं ए.डी.एस.आर. बांका में विलेख सं. 1-1621 के अंतर्गत पंजीकृत।										

नियम एवं शर्तेः-

नीलामी "जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर आयोजित की जाएगी।

1. अधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई भी ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी पर रखी जाने वाली सम्पत्तियों के ऋणभार, शीर्षक तथा सम्पत्ति के संबंध में दावा/अधिकारों/बकाया/सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले तत्थों के संबंध में स्वतंत्र जांच करनी होगी। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता अथवा कोई अभ्यावेदन का गठन नहीं करती है तथा गठन करने की कोई संभावना नहीं है। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी वर्तमान तथा भविष्य के ऋणभार के साथ की जाएगी। अधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली जमा करने के पहले सम्पत्ति एवं विनिर्देश के संबंध में निरीक्षण करने तथा स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। प्रत्येक सम्पत्ति के विवरण के तहत उल्लेखित साइटों पर इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए रखी जाने वाली सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां ऊपर उल्लेखित नीलामी की तारीख से एक दिन पहले अधोहस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी के समक्ष जमा करनी होगी।
4. **ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता - मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. के माध्यम से संचालित की जाएगी। सम्पर्क व्यक्ति - श्री प्रभाकरण (मोब. नं. 74182-81709)। इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट पर सम्पत्ति के विवरण के लिए https://www.bankeauctions.com अथवा https://www.ujjivansfb.in/e-auctions देखने की सलाह दी जाती है तथा बोली में भाग लेने के लिए उन्हें अपने नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीयन कराना होगा तथा अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क हासिल करें। प्रत्याशित बोलीदातागण सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, हेल्पलाइन नं. - 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com,नीलामी पोर्टलः https://www.bankeauctions.com.**
5. सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता/प्रस्तावकर्ता को बिक्री की जाएगी, जो प्रत्याभूत ऋणदाता यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लि. द्वारा बोली स्वीकार किए जाने पर निर्भर है। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास आवश्यक समझे जाने पर परस्पर बोली लगाने की अनुमति प्रदान करने का एकल अधिकार है। अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा (ईएमडी) को बिक्री मूल्य के हिस्से के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य के स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के अंदर पहले से भुगतान की गई ईएमडी की रकम का समायोजन कर बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत रकम सफल बोलीदाता को जमा करनी होगी तथा बिक्री के 15 दिन अथवा उससे पहले अथवा अधिकृत अधिकारी के विवेक पर लिखित रूप से अनुमत विस्तारित अवधि, जो किसी भी रूप में 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, के अंदर बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा रकम का भुगतान करने में विफल होने पर पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति को पुनः नीलामी पर रखी जाएगी एवं असफल क्रेता के पास सम्पत्ति/रकम के संबंध में कोई भी दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन लागू प्रमुख अनुच्छेद के अंतर्गत है।
8. बोलीदाताओं को निजी हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी तरह की खराबी/समस्या (इंटरनेट की खराबी/बिजली की गड़बड़ी इत्यादि) के लिए जिम्मेदार होगा। इस तरह की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से सभी तरह की आवश्यक/वैकल्पिक व्यवस्था यानी बिजली आपूर्ति का बैकअप इत्यादि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है, जिससे वे इस तरह की परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सके एवं नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले पाए।

यह गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में ऊपर नामित कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाताओं के लिए भी सूचना है।

तारीखः 13-06-2026
स्थानः बिहार

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक